



2026:AHC:125173

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 5489 वर्ष 2026

दीपू कमल और 2 अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: कार्तिकेय दीक्षित

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-एक्स

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री अमृत राज की बात सुनी।
2. यह आवेदन याचिकाकर्ताओं की ओर से भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 504, 506 और 308 के तहत दर्ज प्रकरण अपराध संख्या 380 वर्ष 2023, प्राथमिकी दिनांक 12.10.2023, थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. यह निवेदन किया जाता है कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी गोरेलाल कमल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2025 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका संख्या 6057 वर्ष 2025 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि चूंकि आवेदकों की भूमिका सह-आरोपी गोरेलाल कमल के समान है, जिन्हें पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए गिरफ्तारी की स्थिति में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक भी अग्रिम जमानत पर रिहा होने के पात्र हैं। निवेदन किया जाता है कि आवेदकों को उपरोक्त प्रकरण में किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का डर है, जबकि उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। यदि आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विवेचना/मुकदमे में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-आरोपी को पहले ही अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

5. अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांतों, अभियोग की प्रकृति, आवेदकों की भूमिका और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-आरोपी को पहले ही अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है, तथा प्रकरण के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदकों - दीपू, सचिन और विष्णु को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से 15 दिनों के भीतर इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो जमानती सहित व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करें।

मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें लागू हों:-

- (i) आवेदक प्रकरण में निर्धारित तिथि पर संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और विवेचना/परीक्षण में सहयोग करेंगे।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।
- (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे और यदि उनके पास पासपोर्ट है, तो वे उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करा देंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित दंडात्मक कार्रवाई करने या दी गई जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। जमानत स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदकों और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

3 जून, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-एक्स)